

दिनांक 20.11.2019 को दोपहर 12:30 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु/जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की बारहवीं बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री प्रदीप गोदारा, भा0प्र0से0, आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
2. श्री महेश कुमार, नगराधीश, रोहतक।
3. श्री विशाल बंसल, अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
4. श्री बी.एस. नारा, अधीक्षक अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
5. श्री मंजीत दहिया, कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), नगर निगम, रोहतक।
6. श्री रणजीत मलिक, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
7. श्री भानू प्रकाश, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
8. डा0 सत्यवान, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
9. श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, इंडस्ट्रीज, रोहतक।
10. श्री आशीष कुमार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।
11. श्री रणबीर शर्मा, Dy. Registrar (Admin), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
12. श्री परमिन्द्र वर्मा, DMS, PGIMS, रोहतक।
13. श्रीमति गीता दलाल, प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग, रोहतक।
14. श्री अरूण नांदल, सचिव, नगर पालिका सांपला।
15. श्री आशिष कुमार, सचिव, नगर पालिका, महम।
16. श्रीमती सुमन लता, कुमार, सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
17. श्री रवीन्द्र यादव, AEE, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
18. श्री विजेन्द्र सिंह, उपमण्डल अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
19. श्री संजीव दहिया, उपमण्डल अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
20. श्री सुमित मलिक, सहायक नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
21. श्री अजय गोदारा, PGIMS, रोहतक।
22. श्री महाबीर सिंह, मुख्य सुफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक।


बैठक में सभी का स्वागत करते हुए पूर्व में दिये गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की गई:-

1. बैठक में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि माननीय NGT व Waste Management Rules की पालना के लिए पहले निम्नलिखित ग्यारह बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं:-
 1. दिनांक 12.04.2019
 2. दिनांक 29.04.2019
 3. दिनांक 09.05.2019
 4. दिनांक 28.05.2019
 5. दिनांक 18.06.2019
 6. दिनांक 08.07.2019
 7. दिनांक 26.07.2019
 8. दिनांक 05.08.2019
 9. दिनांक 21.08.2019
 10. दिनांक 20.11.2019
 11. दिनांक 20.11.2019

2. माननीय NGT के आदेश OA No.6/2012 में दिये गए आदेशों की पालना तथा माननीय मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा दिये गए आदेशों की दृढ़ता से पालना करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निम्नलिखित आदेश दिये गए:-

1. नगर निगम रोहतक के अधिकारियों को Sewerage, Sewage Action Plan की प्रति उपायुक्त रोहतक कार्यालय तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय, चण्डीगढ़ को दिनांक 21.11.2019 सांय 4:00 बजे तक भिजवाने के निर्देश दिए।
2. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को उनके STP व Sewerage Action Plan की प्रति उपायुक्त रोहतक कार्यालय, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय व आयुक्त, नगर निगम रोहतक को दिनांक 21.11.2019 सांय 4:00 बजे तक भिजवाने के लिए पत्र लिखने के आदेश दिये गये। बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया तथा उनके स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये गये।
3. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधिकारियों को Sewerage, Sewage Action Plan की प्रति उपायुक्त रोहतक कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, व नगर निगम रोहतक को दिनांक 21.11.2019 सांय 4:00 बजे तक भिजवाने के निर्देश दिए।
4. HSIIDC के कैमीकल ट्रीटमेंट प्लांट (CTP), Sewerage Action Plan का एक्शन प्लान की प्रति उपायुक्त रोहतक कार्यालय, आयुक्त, नगर निगम रोहतक तथा प्रबन्ध निदेशक, HSIIDC को दिनांक 21.11.2019 सांय 4:00 बजे तक भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में HSIIDC के अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया तथा उनके स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि 31.12.2019 के पश्चात Untreated Sewerage Drain में नहीं जाए। इसके लिए आवश्यक प्रबन्ध Short term/Long term/Preventive measures जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक सुनिश्चित करेगा।

बैठक में निर्देश दिए गए कि Action Plan प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए सम्बन्धित विभाग के HOD व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेवार होंगे।



उपायुक्त,
रोहतक।

पृ० क्रमांक 2220-51/LFA

दिनांक 20-11-2019.

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGA द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डायो सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
14. GM, हरियाणा परिवहन विभाग, रोहतक।
15. GM, HSIIDC, Rohtak.
16. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
19. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
20. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
21. कार्यकारी अभियन्ता - I & II, नगर निगम रोहतक।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
23. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
24. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
25. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
26. सचिव, मार्केट कमेटी, रोहतक।




उपायुक्त,
रोहतक।

पृ० क्रमांक 2252-60/LFA

दिनांक 20-11-2019.

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।



उपायुक्त,
रोहतक।